



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / निगरानी / 2016-नीमच

प्रत - 2382-PDN-16

(1) दयावंती पति सत्यनारायण काढी

(2) कुंजबिहारी पिता सत्यनारायण काढी

दोनो निवासीगण काढी मोहल्ला मनासा
जिला नीमच म0प्र0 —— निगरानीकर्ता

बनाम

(1) गोपाल पिता मोतीलाल, निवासी काढी
मोहल्ला मनासा, हा.मु. — 111, राजीव
आवास बिहार स्कीम नं. — 114 ब्लॉक-बी,
विजयनगर इंदौर

(2) तुलसीराम पिता झुणालाल (सणालाल)
काढी, निवासी— काढी मोहल्ला तहसील
मनासा जिला नीमच म0प्र0

— अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 मध्यप्रदेश भूराजस्व सहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरुद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी मनासा जिला नीमच के प्रकरण क्रमांक 8/अपील/ 15-16 दयावंती आदि/तुलसीराम आदि आदेश दिनांक 27.06.2016 को पारित (एस.डी.ओ. मनासा के ओदश के खिलाफ अपर कमिशनर उज्जेन सभांग के यहाँ दिनांक 05.07.2016 को अपील पेश कर दी हैं। चूंकि पीठासीन अधिकारी ना होने के कारण यहा बोर्ड में निगरानी भी पीठासीन अधिकारी की अनुपस्थिति के कारण यहाँ यह रिवीजन भी प्रस्तुत की जा रही है।)

[Signature]

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2382-पीबीआर / 2016

जिला नीमच

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	प्रशाकारी एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-09-2016	<p>आवेदकपक्ष व अधिवक्ता सूचना उपरांत अनुपस्थित ।</p> <p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मनासा जिला नीमच के आदेश दिनांक 27-6-2016 के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत कर दी गई है, जो अपील योग्य आदेश है, अतः अपील योग्य आदेश के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई है । इस न्यायालय में निगरानी की ग्राह्यता त्रुटिपूर्ण हुई है । अधीनरथ न्यायालय का आदेश अपील योग्य होने के कारण इस न्यायालय में यह प्रकरण समाप्त किया जाता है ।</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i> अध्यक्ष</p>	